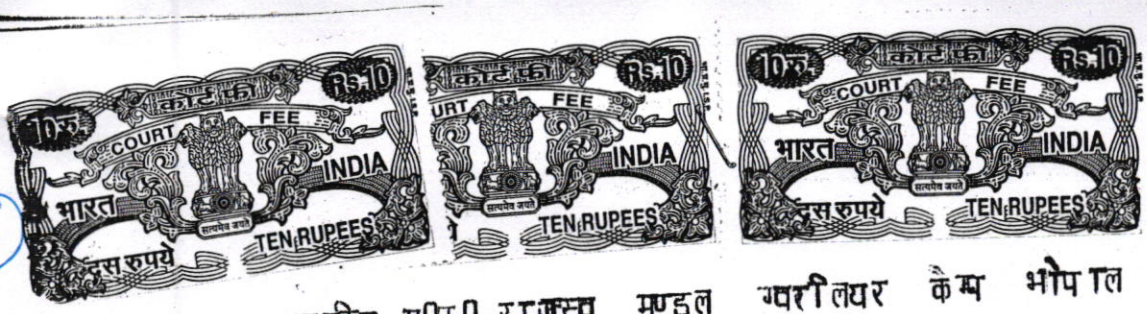

माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प भोपाल म0प्र0

प्र0क्र0 / 2017 निगरानी

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/4544

गुलाब सिंह पुत्र श्री जवाहर सिंह जाति मीणा आयु 60 वर्ष निवासी ग्राम बोरिया तहसील व जिला विदिशा ---निगरानीकर्ता

बनाम

1. हल्केराम पुत्र श्री सूरत सिंह जाति मीणा निवासी ग्राम बोरिया तहसील व जिला विदिशा

2. म0प्र0 शासन

3. सरपंच ग्राम पंचायत बिलौरी तहसील व जिला विदिशा म0प्र0 --- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता विरूद्ध अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्र0क्र0 398 /अपील/2010-11 गुलाब सिंह पुत्र हल्के में पारित आदेश दिनांक 7.10.2017 के विरूद्ध

माननीय महोदय

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रस्तुत है:-

1. यह कि आवेदक /निगरानीकर्ता की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलौरी प0ह0नं0 18 तहसील व जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 116/1 रकबा 1.175 है0, 117/3 रकबा 1.217 है0, 118/3 रकबा 0.189 है0, 131/4 रकबा 0.063है0

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4544 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/02/2018	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि नामांतरण पंजी पर आवेदक द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त आदेश के विरुद्ध 9 वर्ष पश्चात् एस.डी.ओ. के समक्ष अपील की गई है। इतनी लंबी अवधि तक उन्होंने आवेदक को विचारण न्यायालय के आदेश की जानकारी न होना विश्वसनीय नहीं माना है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनका आदेश औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। परिणामत: यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	